न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार गुप्ता (आर ए एस)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 107 / 2012

उनवान

तेजू पुत्र रामकरण जाति माली नि0 रामसर, तहसील नसीराबाद अजमेर
—— वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री हीरालाल माली

बनाम

राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
—— प्रतिवादी :– जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 25.11.21

प्रकरण माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, अजमेर से इस आशय से प्राप्त हुआ है कि वादी को अपने पक्ष में रेकार्ड व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये बाद में साक्ष्य, सुनवाई व तनकियात कायम कर पुनः निर्णय पारित करे। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है वादी ने उक्त वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रामसर के चौसाला खसरा नम्बर 5533 वंर्किग खसरा नम्बर 7355 में से 4–17–0 की आराजी आदेश क्रमांक / भूअ / 96 / 3412 दिनांक 3.8.96 व नामान्तकरण संख्या 658 दिनांक 28.8.66 से रामकरण पुत्र छीतर के नाम नियमानुसार राजस्व अभिलेख में दर्ज की गयी। किन्तु उक्त आराजी के हाल खसरा नम्बर 4489 / 0.89, 7202 / 0.03, 7203 / 0.26 व 7204 / 0.28 को त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज कर दिया गया। वादी के पिता की मृत्यु हो गयी है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादी को घोषित किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरियें नोटिस तलब किया गया। राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वंर्किग जमाबंदी में खसरा नम्बर 7355 रकबा 9–0–0 में से 4–17–0 भूमि श्रीमान् तहसीलदार के आदेश क्रमांक / भूअ / 96 / 3412 दिनांक 03.08.96 व नामान्मकरण संख्या 658 दिनांक 18.8.66 अनुसार रामकरण पुत्र छीतर के नाम खातेदारी दर्ज है। उक्त आदेश पत्रावली में नही है। उक्त आराजी के हाल खसरा नम्बर 4489 / 0.89, 7202 / 0.03, 7203 / 0.18 व 7204 / 0.08 पर वादी के विरूद्ध धारा 91 के तहत कार्यवाही की गयी है। आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख में सि[illegible] है।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया आराजी मुतनाजा का हाल इन्द्राज त्रु[illegible] अधिकारी हैं ?
—— वादी

2. अनुतोष ?

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 13:31:41 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा वादी के बयान दर्ज करवाये।

राज0 पैरोकार ने साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी ने कथन किया कि आराजी मुतनाजा के 4 हाल खसरा नम्बर बने है। किन्तु वादी द्वारा 4-17-0 का ही अनुतोष चाहा गया है। वादी को हाल खसरा नम्बर 4489 रकबा 0.89 में से अनुतोष दिया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है

तनकी संख्या 1

वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख व अन्य दस्तावेज अनुसार नामान्तकरण संख्या 658 दिनांक 18.8.66 द्वारा चौसाला खसरा नम्बर 5533 मिन रकबा 4-17-0 व अन्य खसरा नम्बर रामकरण पुत्र छीतर जाति माली के नाम नियमन किया गया। उक्त नामान्तकरण के कॉलम संख्या 14 में रेगुलाईजेशन मुकदमा नम्बर 314/66 दिनांक 07.06.66 दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल के अनुसार चौसाला खसरा नम्बर 5533 के वंर्किग खसरा नम्बर 7355 रकबा 9-0-0 बने है। वंर्किग जमाबंदी में खसरा नम्बर 7355 तहसीलदार नसीराबाद आदेश कमांक/मुअ/96/3412 दिनांक 03.08.96 व नामान्तकरण संख्या 658 दिनांक 18.8.66 अनुसार रामकरण पुत्र छीतर के नाम खातेदारी दर्ज है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादी के पिता के नाम उक्त आराजी का नियमन जरियें नामान्तकरण किया गया तथा वंर्किग जमाबंदी में भी तहसीलदार नसीराबाद के आदेश से उक्त नामान्तकरण का अमल दरामद किया गया। वंर्किग खसरा नम्बर 7355 के हाल खसरा नम्बर 4489/0.89, 7202/0.03, 7203/0.26 व 7204/0.28 बने है जो राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज है। राज0 पैरोकार द्वारा प्रस्तुत जवाब व वादी द्वारा धारा 91 के नोटिस अनुसार वादीगण का उक्त आराजी पर कब्जा भी सिद्व होता है। वादी द्वारा वर्ष 214, 2016, 2017 व 2018 के धारा 91 के नोटिस भी पेश किये है। उक्तानुसार वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेज से स्पष्ट है कि आराजी मुतनाजा का विधिवत नियमन वादी के पिता को हुआ है। उक्त आराजी के नियमन को सक्षम न्यायालय में चुनौती देने अथवा नियमन निरस्त बाबत कोई दस्ताव राज0 पैरोकार ने प्रस्तुत नही किया है। विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि भूमि का नियमन होने के बाद जब तक किसी न्यायालय द्वारा उक्त आवंटन को निरस्त नही किया जाता तब तक नियमन वैध होता है चाहे उक्त नियमन आदेश का राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किया गया हो अथवा नही। प्रस्तुत प्रकरण में नियमन आदेश की पालना पूर्व राजस्व अभिलेख में विधिवत की गयी थी। किन्तु हाल अभिलेख में आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। तत्समय वादी के पिता को चौसाला खसरा नम्बर 5533 रकबा 9-0-0 भूमि में से 4-17-0 भूमि का नियमन हुआ था जिसके वंर्किग खसरा नम्बर 7355 के 4 हाल खसरा नम्बर 4489, 7202, 7203, 7204 बने है। वादी ने दौराने बहस कथन किया है कि उसे वर्तमान कब्जे काश्त के आधार पर हाल खसरा नम्बर 4489 में अनुतोष दिया जावे। अतः वादी हाल खसरा नम्बर 4489 की 4-17-0 अर्थात 0.776 की भूमि पर खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम रामसर के हाल खसरा नम्बर 4489 रकबा 0.776 पर वादी का वाद "**स्वीकार**" किया जाता है। वादी को उक्त आराजी [illegible] ...सार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व [illegible] की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा [illegible] जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 13:31:41 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

तेजू बनाम राज0 सरकार

दावा बाबत :— 88, 188 राज. का. अधि0 1955, 136 भू राज0 अधि0 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर — 107 / 2012
पेश करने की दिनांक — 21.02.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस)—व हाजिर अभिभाषक हीरालाल माली मुद्दई व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :—

ग्राम रामसर के हाल खसरा नम्बर 4489 रकवा 0.776 पर वादी का वाद "**स्वीकार**" किया जाता है। वादी को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बदस्तखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज २८ माह मार्च सन् 2021 को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 13:31:41 IST
Reason: SelfAttested